



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या(उ०प्र०)

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/7298/202

दिनांक: 17-07-2025

प्रेषक:

उप कुलसचिव (शैक्षणिक),
लो०अ०वि०/शैक्ष०, अयोध्या।

प्रापक:

श्री/श्रीमती/कु०- देव नारायण वर्मा
पुत्र/पुत्री श्री

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

प्राचीन इतिहास विषय में पीएच०-डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 07.05.2025 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है।

शोध निर्देशक का नाम: प्रो०/डॉ० रमेश प्रताप सिंह, का०सु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों को शोधार्थी अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

- पूर्णकालिक शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क ₹ 3,000/- तथा अंशकालिक शोध कार्य हेतु एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क ₹ 10,000/- विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट www.rmlau.ac.in पर यथा-स्थान उपलब्ध लिंक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से 02 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से आनलाइन जमा करना होगा। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर पीएच०-डी० शोध पंजीकरण हेतु उपलब्ध आवेदन-पत्र को डाउनलोड/प्रिन्ट करने के उपरान्त आवेदन-पत्र को पूरित करते हुए आवंटित शोध निर्देशक, विभागाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर सहित, समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आधारकार्ड तथा सेवारत होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि संलग्न करते हुए पत्रावली कुलसचिव कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
- शोधार्थी द्वारा यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
- पूर्णकालिक शोधार्थियों (Full Time) शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह अर्थात् तीन वर्ष होगी, जिसमें 06 माह कोर्सवर्क की अवधि भी सम्मिलित होगी एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (06 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
- अंशकालिक शोधार्थियों (Part Time) एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शोधार्थियों हेतु शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह अर्थात् तीन वर्ष होगी, जिसमें 06 माह कोर्सवर्क की अवधि भी सम्मिलित होगी एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि (08 वर्ष) होगी।
- पूर्णकालिक शोधार्थियों (Full Time) हेतु शोध पंजीकरण शुल्क ₹ 3,000/- एवं प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित हस्ताक्षरित एवं मुहर सहित विस्तृत शोध प्रगति आख्या के साथ ₹ 5,000/- सेमेस्टर (छमाही) शुल्क (कुल 04 छमाही, 06-06 माह के अन्तराल पर) तथा शोध प्रबन्ध जमा करते समय ₹ 20,000/- जमा करना अनिवार्य होगा।
- अंशकालिक शोधार्थियों (Part Time) एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शोधार्थियों हेतु शोध पंजीकरण शुल्क ₹ 10,000/- एवं प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित हस्ताक्षरित एवं मुहर सहित विस्तृत शोध प्रगति आख्या के साथ ₹ 15,000/- सेमेस्टर (छमाही) शुल्क (कुल 04 छमाही, 06-06 माह के अन्तराल पर) तथा शोध प्रबन्ध जमा करते समय ₹ 25,000/- जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त शुल्क विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आनलाइन जमा करते हुए शुल्क रसीद एवं प्रत्येक प्रगति आख्या के साथ कुलसचिव कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राम म
- नोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2022 के अनुसार होगा।

उप-कुलसचिव
शैक्षणिक

पृष्ठांकन व दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- शोध निर्देशक प्रो०/डॉ० रमेश प्रताप सिंह, का०सु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या।
- प्रोग्रामर ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
- वैयक्तिक सहायक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
- पटल /गार्ड फाईल।

उप-कुलसचिव
शैक्षणिक